न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 634/2022

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र घेरूराम जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घेरूराम जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र घेरूराम जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. जिराज पुत्र घेरूराम जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहरं
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **अप्रार्थी**
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 18/09/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज के कारण खाता एवं लगान तथा सींव डोल हेतु तनाजात बना रहता है इसलिए सायल गैरसायलान से वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसायलान की संयुक्त खाते की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण गैरसायलान अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर बैय करना चाहते है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि वे अच्छी किस्म की भूमि को हडपने की नियत को त्याग देवे, भूमि की किस्म परिवर्तन न करवाये एवं किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य निर्माण आदि न करें जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ ताफैसला स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490 हैक्ट भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे, बाग न लगावे व बिना संपरिवर्तन करवायें निर्माण ना करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुंल 6.2490 हैक्ट भूमि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण कार्य जवाब पेश होने तक नही किया जावे।

अप्रार्थी स0. 3 को सम्यक रूप से नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही और न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित। अतः अप्रार्थी स0 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा ने वकालतनाम पेश किया एवं अप्रार्थी स0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की विवादित सहखातेदारी भूमि सायल व गैरसायलान अलग अलग काश्त करते आ रहे है एवं गैरसायलान मौके पर ढाणी बनाकर आबाद है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें तथा निर्माण कार्य न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी वाद भूमि का बेचान नही करना चाहता है अप्रार्थी एक निहायत गरीब किसान है अतः अपनी घरेलू आवश्यकताओं हेतु केसीसी की आवश्यकता है। अप्रार्थी सिर्फ अपने हिस्से की केसीसी बनवाना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा केसीसी बनाने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होती है क्योंकि खाता विभाजन में प्रार्थी के हक व हिस्से पर रहन रहेगा न की प्रार्थी के। अप्रार्थी की उक्त वाद भूमि पर पहले से ढाणी बनी हुई है जिसकी मरम्मत की जा रही है न की नया निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थी को केसीसी एवं पुरानी ढाणी में बने मकानात जो की जर्जर है उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तकरका मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होगा, प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखना देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490 हैक्ट भूमि शामिल खाते में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उभयपक्ष रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified

मुश्तरका खातेदार काश्तकार ... भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग ... अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

आधार पर तय होना है जब तक वाद में उभयपक्षों का खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि में रहन, बैय व किसी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण उभयपक्षों के द्वारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा नया निर्माण कार्य नही किया गया है बल्कि पुरानी ढाणी बनी हुई है उसकी मरम्मत की गई है एवं अप्रार्थी द्वारा केवल अपने हक व हिस्सा की भूमि की अपने आवश्यकताओं हेतु केसीसी की आवश्यकता है उक्त कथनों के मध्यनजर अप्रार्थी को नये निर्माण हेतु निषिद्ध किया जाना उचित है जबकि पूर्व में निर्मित मकान/ढाणी में मरम्मत/पुनर्निमाण करने एवं केसीसी हेतु प्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग को रहन व बैय कर रहे है। चुकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने एवं पहले से निर्मित मकान/ढाणी की मरम्मत करने से अप्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को रहन व बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुंल 6.2490 हैक्ट भूमि में नयी जगह पर नया निर्माण कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है लेकिन पहले से निर्मित मकान/ढाणी की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन व बैय करने हेतु अप्रार्थीगण स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested